रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1656] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 9, 2017/ज्येष्ठ 19, 1939
No. 1656] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 9, 2017/JYAISTHA 19, 1939

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2017

का.आ. 1867(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायकियों के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुत दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता का निवारण करता है ।

और जबकि भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयक एजेंसी कहा गया है) के माध्यम से राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ एवं वैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान को वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि, सहकारिता पर केन्द्रीय समेकित क्षेत्र स्कीम के अधीन **केन्द्रीय क्षेत्र सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण स्कीम** (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है;

और जबकि स्कीम के अधीन दी गई वित्तीय सहायता का स्कीम के निम्नलिखित घटकों के माध्यम से आत्मनिर्भर एवं स्वयं विनियमित व्यवहार्य आर्थिक उद्यमिताओं के रूप में सहकारी समितियों के विकास की प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य के साथ सहकारी समितियों, राज्य सरकारों के साथ-साथ विभिन्न सहकारी संस्थानों के मध्यम स्तर एवं ज्येष्ठ स्तर कार्मिक और अन्य वैयक्तियों (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) को भी सहकारी शिक्षा (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदा कहा गया है) पर प्रशिक्षण देने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उपयोग किया जाता है:

क. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा अल्पविकसित क्षेत्रों, राज्यों में सहकारी शिक्षण एवं फील्ड परियोजनाओं की सघनता;

ख. कार्य, व्यवसाय विकास कार्यकलापों, सामाजिक विकास कार्यकलापों एवं सहकारी संस्थानों के बारे में साधारण जागरुकता फैलाना;

ग. राज्य सहकारी संघों के माध्यम से महिला, युवा एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लिए शिक्षण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन;

घ. क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ के उप क्षेत्रीय देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना;

ङ. सहकारी डाटा का रख-रखाव;

और जबकि पूर्वोक्त स्कीम में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अन्तर्वलित हैं।

अत: अब, केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबन्धों के अनुसरण में निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात:—

1. (1) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपभोग करने के लिए पात्र व्यक्तियों से आधार होने का सबूत देने या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करने की अपेक्षा होगी।

(2) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाओं का उपयोग करने का इच्छुक व्यक्ति जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, को 9वीं जुलाई, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन कराना होगा यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का/की हकदार है और ऐसे व्यक्ति आधार के लिए नामांकन कराने हेतु किसी भी आधार नामांकन केंद्र (वेबसाइट www.uidai.gov.in में उपलब्ध सूची) पर जा सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियमन, 2016 के विनियम 12 के अनुसार मंत्रालय से उसके कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से ऐसे फायदाग्राहियों को जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, के लिए आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपेक्षा होगी और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं है तो मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से वर्तमान भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से या मंत्रालय स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों में आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे।

परन्तु कि व्यक्ति को आधार समनुदेशित किए जाने तक ऐसे व्यक्तियों को स्कीम के अधीन फायदा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए दी जाएंगी; अर्थात:—

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसका/उसकी आधार नामांकन पहचान की पर्ची; या

(ii) आधार नामांकन के लिए किए गए आवेदन की एक प्रति जैसा कि पैरा 2 के उप-पैरा (2) में विनिर्दिष्ट है; और

(ख) (i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; या

(ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) फोटो सहित बैंक या डाक घर की पासबुक;

(vi) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय लेटर हैड पर जारी फोटो वाला पहचान प्रमाणपत्र; या

(vii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(viii) किसान फोटो पासबुक; या

(ix) मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

परन्तु इसके अतिरिक्त उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय द्वारा विशिष्ट रूप से पदाभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक तथा निर्बाध रूप से फायदा प्रदान कराने के लिए मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से निम्नलिखित सहित सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा, अर्थात्:—

(1) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए आधार की आवश्यकता के प्रति फायदाग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए उन्हें मीडिया तथा व्यक्तिगत सूचनाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा और उन्हें सलाह दी जा सकेगी कि यदि अभी तक उनका नामांकन नहीं हुआ है तो 9वीं जुलाई, 2017 तक अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित नजदीक नामांकन केंद्रों में स्वयं का नामांकन करा लें। स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) यदि स्कीम के अधीन फायदाग्राही आस-पास के क्षेत्र जैसे कि ब्लॉक या तालुका या तहसील में नामांकन केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण नामांकन कराने में असमर्थता के मामले में मंत्रालय अपने कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों में आधार नामांकन सुविधाएं सृजित करेगा और फायदाग्राहियों से अनुरोध किया जाएगा कि वे कार्यान्वयन अभिकरण के पदाभिहित पदाधिकारियों के पास या इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध वेब पोर्टल पर पैरा 1 के उप-पैरा (3) के प्रथम परंतुक में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और यथा-विनिर्दिष्ट अन्य विवरण देकर अपने अनुरोध को रजिस्ट्रीकृत कराएं।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एस-11017/04/2017-सीपीसी]

डॉ. आशीष कुमार भुटानी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

(CO-OPERATION DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2017

S.O. 1867(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering the **Central Sector Scheme of Co-operative Education and Training** (hereinafter referred to as the Scheme) under the Central Sector Integrated Scheme on Agricultural Co-operation, by providing financial assistance to the National Council for Co-operative Training, National Cooperative Union of India and Vaikunth Mehta National Institute of Cooperative Management through National Council for Co-operative Training (hereinafter together referred to as the Implementing Agencies);

And whereas, financial assistance provided under the Scheme is used by the Implementing Agencies for imparting training on co-operative education (hereinafter referred to as the benefits) to middle level and senior level personnel of the co-operatives, State Governments as well as various co-operative institutions and also to the other individuals (hereinafter referred to as the beneficiaries) with an objective of strengthening the process of development of co-operatives as self-reliant and self-regulated viable economic enterprises through the following components of the Scheme :

a. Intensification of co-operative education and field projects in underdeveloped areas and in States by National Cooperative Union of India.

b. Spreading general awareness about the working, business development activities, social-development activities and co-operative institutions;

c. Implementation of educational programmes for women, youth and minority community through the State Co-Operative unions;

d. Promotion of technical co-operation amongst sub-regional countries of South Asian Association for Regional Co-Operation; and

e. Maintenance of Co-Operative data;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of Section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:

1. (1) An individual eligible for availing benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual desirous of availing benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 9th July, 2017, in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of Section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per Regulation-12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry through its Implementation Agencies is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementation Agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by Ministry itself becoming Unique Identification Authority of India Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following documents, namely:

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and

(b) (i) Voter Identity Card issued by the Election Commission of India; or

(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or

(iii) Passport; or

(iv) Ration Card; or

(v) Bank Passbook or Post office Passbook with Photo; or

(vi) Certificate of identity having photo issued by the Gazetted officer or a Tehsildar on their official letter head; or

(vii) Driving license issued by Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(viii) Kisan Photo Passbook; or

(ix) Any other document as specified by the Ministry;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Ministry through its Implementation Agencies shall make all the required arrangements including the following, namely:

(1) Wide publicity through media and individual notices to be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive benefits under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centre available in their areas by 9th July, 2017 in case they are not yet enrolled and the list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, the beneficiaries under the scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrollment centres in the vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Ministry through its Implementation Agencies are required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the designated officials of the Implementing Agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union Territories Administrations except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. S-11017/04/2017-CPC]

Dr. ASHISH KUMAR BHUTANI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.06.09 22:55:06 +05'30'